बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक ....

संचिका संख्या–07/मु0–02–11/2026.................../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No–13914/2021 ज्योति कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.09.2021 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. CWJC No–13914/2021 ज्योति कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.09.2021 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"...Accordingly, the present writ petition stands disposed of with liberty to the petitioners to approach the Respondent no. 3 by filing appropriate representation within a period of four weeks from today and in case such a representation is filed, the same shall be disposed of by a reasoned and a speaking order by the Respondent no.3, in accordance with law, within a period of eight weeks, there after..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्तागण को विभागीय पत्रांक–776 दिनांक–16.02.2026, 849 दिनांक–20.02.2026 एवं 927 दिनांक–25.02.2026 द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके पक्ष को विस्तारपूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्तागण का कथन है कि प्रस्तुत मामला CWJC No-17330/2019 अभिषेक कुमार दुबे एवं अन्य के समरूप है। इस मामले में जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में 22 उम्मीदवारों में से 05 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है, जबकि अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति बिना किसी तर्कसंगत कारणों के नहीं की गई।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–388 दिनांक–30.03.2026 द्वारा सिसवन प्रखण्ड का द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन 2008 का मूल आवेदन पंजी एवं मूल मेधा सूची पंजी उपलब्ध कराया गया। मूल आवेदन पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पृष्ठ संख्या–35 पर क्रमांक संख्या–2267 पर श्री जवाहर कुमार साहनी का नाम Interpolate कर बाद में अंकित किया गया। इसी प्रकार मूल मेधा सूची पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्रीमती ज्योति कुमारी का नाम पृष्ठ संख्या–06 पर नियोजन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरोपरान्त जोड़ा गया।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, सिवान के अपील वाद सं0–131/2016, 133/2016, 134/2016 के अपीलार्थी ज्योति कुमारी, पिता रघुनन्दन चौधरी का नाम आवेदन पंजी में क्रमांक–4333 पर अंकित है। क्रमांक–4333 पर ओवरराइटिंग (Overwriting) करते हुए ज्योति कुमारी, पिता–रघुनन्दन चौधरी, माता–लालमती देवी, ग्राम+पोस्ट–अमरपुर, जिला–सिवान कोटि–BC जन्म तिथि–01.07.1988 पूर्णांक–500 प्राप्तांक–278 एवं प्रतिशत–55.25 अंकित है। साथ ही तैयार की गई मेधा सूची के

क्रमांक–35, आवेदन संख्या–B4333 ज्योति कुमारी, पिता रघुनंदन चौधरी, ग्राम+पोस्ट–अमरपुर, कोटि–सामान्य एवं प्रतिशत 55.60 अंकित है। मूल पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सदस्यों के हस्ताक्षर के ऊपर ज्योति कुमारी का नाम दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार अपीलार्थी जवाहर कुमार सहनी पिता–स्व0 सखी चन्द सहनी, ग्राम–मुलौली, पोस्ट–तेनुआ, जिला–सिवान का नाम आवेदन पंजी के क्रमांक–4249 पर ओवरराइटिंग (Overwriting) करते हुए जन्म तिथि–25.06.1986, कोटि–BC, पूर्णांक–900, प्राप्तांक–621, प्रतिशत–67.88 अंकित है, जबकि मेधा सूची के क्रमांक–14 पर जवाहर कुमार सहनी, पिता स्व0 सखी चन्द सहनी, ग्राम–भुलौली, भूत–तेनुआ, जिला–सिवान, कोटि–EBC, जन्म तिथि–25.05.1984, प्रतिशत–57.80 अंकित है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्त्तागण का नाम आवेदन प्राप्ति पंजी एवं मेघा सूची पंजी में मिली भगत से कूट रचना कर बाद में जोड़ा गया।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त याचिकाकर्त्तागण के प्रार्थना को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/मु0–02–11/2026.....1619....... पटना, दिनांकः–...11/05/26....

प्रतिलिपिः– 1. Jyoti Kumari daughter of Raghu Nandan Choudhary, resident of Village- Amarpur, P.S. Darauli, District Siwan.

2. Jawahar Kumar Sahani, son of Sakhi Chande Sahani, resident of Village- Bhalauli, P.S. Guthani, District Siwan. को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।